

फलिमों को वलिम्ब से प्रमाणपत्र दएि जाने पर उठे सवाल

सन्दर्भ

पहली बार फलिम सेंसरशपि के मुद्दे को उठाते हुए, कांग्रेस नेता के वी थॉमस की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने फलिम प्रमाणन बोर्ड द्वारा फलिमों को देर से प्रमाण-पत्र दएि जाने के मुद्दे पर चर्चा जताई है और केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड द्वारा फलिमों को प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया को वसिंगतयों से युक्त बताया है।

महत्त्वपूर्ण बदि

- लोक लेखा समिति ने केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा है कि फलिमों को प्रमाण-पत्र देने में 491 दिनों तक की देरी बोर्ड की सुस्ती है, यह धनोपार्जन की एक सोची समझी व्यवस्था है।
- वदिति हो कि लोक लेखा समिति ने इस समूची प्रक्रिया को दोषयुक्त बताते हुए सनिमेटोग्राफ अधनियिम, 1952 और सनिमेटोग्राफ प्रमाणन नयिम, 1983 में संशोधन का सुझाव दया है।
- गौरतलब है कि लोक लेखा समिति "केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड के कार्यों पर " कैंग द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के आधार पर जाँच कर रही है।
- सनिमेटोग्राफ अधनियिम 1952 और सनिमेटोग्राफ प्रमाणन नयिम 1983 में संशोधन आवश्यक क्यों?
- जाहरि सी बात है कि जब ये नयिम बनाए गए थे तब तकनीक का विकास आज के स्तर नहीं था। आज समाज के नज़रयि में भी व्यापक बदलाव आया है, अतः दशकों पहले बनाए गए इन नयिमों के आधार पर आज के सनिमा को परखना कतई प्रासंगिक नहीं है।
- केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड की कार्य क्षमता पर सवाल उठना आश्चर्यजनक नहीं है। वस्तुतः फलिमें अभवियकर्ता का सशक्त माध्यम होती है और सततारूढ़ दल प्रायः सेंसर बोर्ड में ऐसे सदस्यों की नयुक्ति करते हैं जो उन्हें अनुचित लाभ पहुँचा सकें। इसका नतीज़ा यह होता है कि समाज के अनुचित नज़रयि को चुनौती देने वाली प्रगतशील फलिमों को फलिम प्रमाणन के पचड़ों में फँसा दया जाता है। अतः सनिमेटोग्राफ अधनियिम, 1952 और सनिमेटोग्राफ प्रमाणन नयिम, 1983 में संशोधन आवश्यक है ताकि बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता बहाल की जा सके।

नषिकर्ष

- यह कहना गलत नहीं होगा कि एक फलिम निर्माता की सारी मेहनत महज़ केन्द्रीय फलिम प्रमाणन नामक एक संस्था के हाथों में होती है। हालाँकि, फलिमों का सेंसर होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ भारत का संवधान अभवियकर्ता की आज़ादी देता है, वहीं अभवियकर्ता पर उचित प्रतबिंध की भी बात करता है। सेंसर बोर्ड को इस बात पर पूरा ध्यान देना होता है कि फलिमों के ज़रयि लोगों तक ऐसा कोई भी संदेश न पहुँचे जिससे देश की शांति भंग हो।
- हालाँकि, यह सच है कि संवधान सरकार को अनुच्छेद 19 (1)(क) में दी गई अभवियकर्ता की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर मतिर देशों के साथ संबंध बगिड़ने की आशंका तक कई आधारों पर सीमति करने की इजाज़त देता है, लेकिन यह आशंका किसी फलिम से पैदा हो सकती है या नहीं, यह तय करने का सबसे श्रेष्ठ आधार कोई फलिम प्रमाणन संस्था नहीं हो सकती। यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है जो लोगों और उनके प्रतनिधियों के प्रतिकेही सीधे तौर पर जवाबदेह होती हैं।
- केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड को सेंसरशपि या पुलसि का काम करने की बजाय अपना काम यहीं तक सीमति रखना चाहयि कि कौन सी फलिम कसि दर्शक वर्ग के लयि ठीक है। इसके अलावा, आदर्श स्थिति यह होगी कि प्रमाणन संस्था का नेतृत्व कसि ऐसे व्यक्ता के हाथों में होना चाहयि जिसकी सनिमा या कला के दूसरे माध्यमों से जुड़े लोगों के बीच कुछ प्रतषिठा हो। फलिमें सही मायने में समाज का दर्पण तभी बन पाएंगी जब प्रमाणन संस्था को राजनीति से प्रेरति नयुक्तयों और भेदभाव से नज़ात मलैगी।